8843 / 1/3/14, 9026 / 10/3/14

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक– दाखिल खारिज अपील वाद संख्या – 09/2012–13

श्री लाल महथा बनाम अंचल अधिकारी, जाले एवं अन्य।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	अपीलकर्त्ता एवं उत्तर–वादी का बहस सुना। अपीलकर्त्ता ने प्रस्तुत अपील धारा– 7 बिहार म्युटेशन एक्ट 2011 के तहत दाखिल किया है। अपलीकर्त्ता लाल महथा, पिता– स्व0 मुन्सिफ महथा ग्राम– राढ़ी, थाना– जाले, जिला– दरभंगा आवेदक तथा (1) अंचल अधिकारी, जाले, विपक्षी प्रथम पक्ष (2) रघुवीर दास पिता– चिराई दास, ग्राम– राढ़ी थाना एवं अंचल– जाले, जिला– दरभंगा विपक्षी द्वितीय पक्ष (3) अरूण कुमार, पिता– स्व0 बिन्देश्वर महतो, ग्राम एवं पोस्ट– राढ़ी थाना एवं अंचल– जाले, जिला– दरभंगा विपक्षी तृतीय पक्ष ने अंचल अधिकारी, जाले के दाखिल खारिज वाद संख्या– 1600 E/ 2011–12 आदेश दिनांक– 12.01.2012 के विरूद्ध दाखिल किया है साथ हीं साथ दफा– 5 लिमिटेशन एक्ट के अन्तर्गत क्षांत करने का भी आवेदन किया है। अपीलकर्त्ता ने अपील की प्रति विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता को हस्तगत करवाया तथा प्रतिग्रहण के बिन्दु पर सुनने के पश्चात् अपील को प्रतिग्रहित किया गया तथा विपक्षीगण को नोटिस निर्गत किया गया। विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता एवं विपक्षीगण के अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा दिनांक 22.01.2013 को विपक्षी सं0– 02 रधुवीर दास की ओर से आपत्ति आवेदन दाखिल किया गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता का बहस सुना एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि लाल महथा ने दिनांक 30.07.2011 को अंचल अधिकारी, जाले के यहाँ अपने विक्रेता के जमाबन्दी सं0– 1359 से निबंधित केवाला दिनांक 25.09.04 जिससे बिन्देश्वर महतो ने मौजे– राढ़ी खाता नं0– 1582 खेसरा नं0– 18687 नया रकवा 08 कट्ठा 11 धुर दाखिल–खारिज हेतु आवेदन दिया जिस पर अंचल अधिकारी, जाले, हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की	

19/05/14

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	माँग करते हुए आम सुचना निर्गत करने का आदेश दिये। हल्का कर्मचारी ने अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया कि खेसरा सं0– 1048 रकवा 18 कट्ठा 12 धुर जमीन श्री लाला महथा को केवाला द्वारा प्राप्त है तथा वर्त्तमान में दखल में है उक्त भूमि की जमाबन्दी विक्रेता के नाम से चल रही है परन्तु यह भूमि भूदान यज्ञ कमिटी द्वारा रघुवीर दास को पर्चा द्वारा प्राप्त है, तथा जमाबन्दी कायम है एवं अद्यतन रसीद कट रही है इस तरह उक्त खेसरा 1048 से 03 कट्ठा पर्चा श्री राम दयाल के नाम पूर्व में पर्चा निर्गत है तथा रकवा 02 कट्ठा का पर्चा अलीजान मियां के नाम से निर्गत किया गया है। जमीन विवादित है। अंचल अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 12.01.2012 से हल्का कर्मचारी अंचल निरीक्षक एंव आपत्ति पत्र प्रतिवेदन अवलोकन करने के पश्चात् दाखिल–खारिज के निमित आवेदन को अस्वीकृत किया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने तथा कागजातों के अवलोकन से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि अपीलकर्त्ता को प्रश्नगत भूमि केवाला से प्राप्त है तथा इनके विक्रेता अपीलकर्त्ता को प्रश्नगत भूमि केवाला से प्राप्त है तथा इनके विक्रेता के नाम से जमाबन्दी चल रही है इसलिए इनका दाखिल–खारिज होना नियमानुकूल है। अतएव अंचल अधिकारी, जाले को आदेश दिया जाता है कि वे प्रश्नगत भूमि का सम्पूर्ण रकवा का नापी करवाते हुए पर्चा में वर्णित चौहद्दी एवं केवाला में वर्णित चौहद्दी का सत्यापन करते हुए क्रमवार दाखिल–खारिज करेगें। आदेश की प्रति के साथ अंचल अभिलेख को वापस करें। **लेखापित एव शुद्धित** ह0 19/05/14 **भू0 सु0 उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा** ह0 19/05/14 **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।**	